प्रपत्र–10

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

लैन्ड शेड्यूल

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद हरिद्वार में रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में आ रही संरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	भूमि की किस्म	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1	संरक्षित वन भूमि	9000.00	4.00	36000.00 (रूड़की रेंज)
1	संरक्षित वन भूमि	9300.00	4.00	37200.00 (लक्सर रेंज)
	योग	**18300.00**	**4.00**	**73200.00**

उपरोक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से 7.32 है0 संरक्षित वन भूमि का प्रस्ताव तैंयार किया गया है।

(गौरव कुमार अग्रवाल)
वन क्षेत्राधिकारी
लक्सर रेन्ज (हरिद्वार)

(जयेन्द्र कुमार)
वन क्षेत्राधिकारी
रूड़की रेन्ज (हरिद्वार)

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

तहसीलदार
लक्सर

(प्रभागीय वनाधिकारी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
रूड़की

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
हरिद्वार

उपजिलाधिकारी
लक्सर

प्रपत्र–6

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

Attached

अधिशासी अभियन्ता
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

(प्रभागीय वनाधिकारी)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
हरिद्वार

ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
3/11/21

तहसीलदार
लक्सर

उपजिलाधिकारी
लक्सर

प्रपत्र–4

परियोजना **का नाम** :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.11.2021 से 22.11.2021 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गौरव कुमार अग्रवाल, वन क्षेत्राधिकारी लक्सर एवं श्री जाति राम, वन दरोगा, श्रीमती सोनी पंवार, वन दरोगा तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से एम0एस0नेगी, सहायक अभियन्ता, श्रीमती दीपा, अपर सहायक अभियन्ता, श्री आशीष अरोड़ा, अपर सहायक अभियन्ता निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि 3.72 है0 एवं नाप भूमि 0.00है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से मार्ग में यातायात करने वाली जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में 445 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व कार्ययोजना में उल्लेख नहीं है, तथा ईकोक्लास........ है।

आवेदित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 445 है। (अन्य आवश्यक विवरण यदि कोई हो) ....

कनिष्ठ अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

22/2/22
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

(गौरव कुमार अग्रवाल)
वन क्षेत्राधिकारी लक्सर
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी
हरिद्वार

(प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

तहसीलदार
लक्सर

(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)
उपजिलाधिकारी
लक्सर

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.11.2021 से 22.11.2021 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैंयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मंयक गर्ग, वन क्षेत्राधिकारी रूड़की एवं श्री अमन सिंह, वन दरोगा, श्री पंकज शर्मा, वन दरोगा तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मिनाजुल हक, सहायक अभियनता, श्री अनिल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, श्री ललित चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार संरक्षित वन **भूमि प्रभावित हो रही है।** परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि 3.60 है0 एवं नाप भूमि 0.00 है0 **प्रभावित** हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से मार्ग में यातायात करने वाली जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में 539 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व कार्ययोजना में उल्लेख नहीं किया गया है, तथा ईकोक्लास........ है।

आवेदित वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की संख्या 539 है। (अन्य आवश्यक विवरण यदि कोई हो) ....
....
....

कनिष्ठ अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

(वन विभाग का प्रतिनिधि)

(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी
हरिद्वार

(प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी ~~हरिद्वार~~ रुड़की (हरिद्वार)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड स्तरीय समिति, ~~हरिद्वार~~ रुड़की (हरिद्वार)

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ~~हरिद्वार~~ रुड़की) की दिनांक 21.02.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अंशुल सिंह (I.A.S.) उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मा0 सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है । इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है।

1. - राजस्व उपनिरीक्षक — [signature] 21.2.2022
2. — तहसीलदार — [signature] तहसीलदार रुड़की
3. – समाज कल्याण अधिकारी
4. – उप प्रभागीय वनाधिकारी:–

[signature] संध्या 12/04/22
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड लक्सर, हरिद्वार

[signature]
ज्वाईंट मजिस्ट्रेट

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी हरिद्वार तहसील-लक्सर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड स्तरीय समिति, हरिद्वार तहसील-लक्सर

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ~~हरिद्वार~~ लक्सर) की दिनांक 09/4/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गौरव गुप्ता उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मा0 सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

1. रा. उ. नि. — Sunil 22/2/22, सुनील कुमार, रा0उ0नि0
2.
3.
4.

(हस्ताक्षर) 8.4.2022

उपजिलाधिकारी
लक्सर

<u>प्रपत्र–1</u>

Mr. Amit Kumar Tyagi Son of Shri. Ved Prakash Tyagi, Assitant Engineer is hereby authorized to upload the land transfer proposals of "Strengthening & widening work by Paved shoulder of Roorkee-Laksar-Balawali Road, State Highway No-26 in km. 01 to 19 in District Haridwar" on the Government of India Portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Executive Engineer, National Highway Division, PWD, Dehradun.

3.6.2022

(Er. Jitendra Kumar Tripathi)
Executive Engineer
NH Division, PWD,
Dehradun

<u>प्रपत्र–32</u>

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

<u>वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल रू0 ...70.00... लाख प्रति है0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 7.32 है0 संरक्षित वन भूमि का कुल मूल्य रू0 ...512.40 लाख... होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट ...-... ...-...प्रतिशत की दर से रूपये ...-... होता है।

जिलाधिकारी
हरिद्वार
जिलाधिकारी

तहसीलदार
लक्सर

06/06/2022
उपजिलाधिकारी
लक्सर

प्रपत्र–28

परियोजना का नाम :– जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019–20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आंवटित नहीं की गई है।

प्रयोक्ता एजेंसी
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

जिलाधिकारी

तहसीलदार ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट
लकसर

उपजिलाधिकारी
लक्सर

जियोरेफेरेन्स मैपः—केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत रूड़की—लक्सर—बालावाली मार्ग (राज्य मार्ग सं0 26) के किमी0 1 से 19 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 14.64 है0)

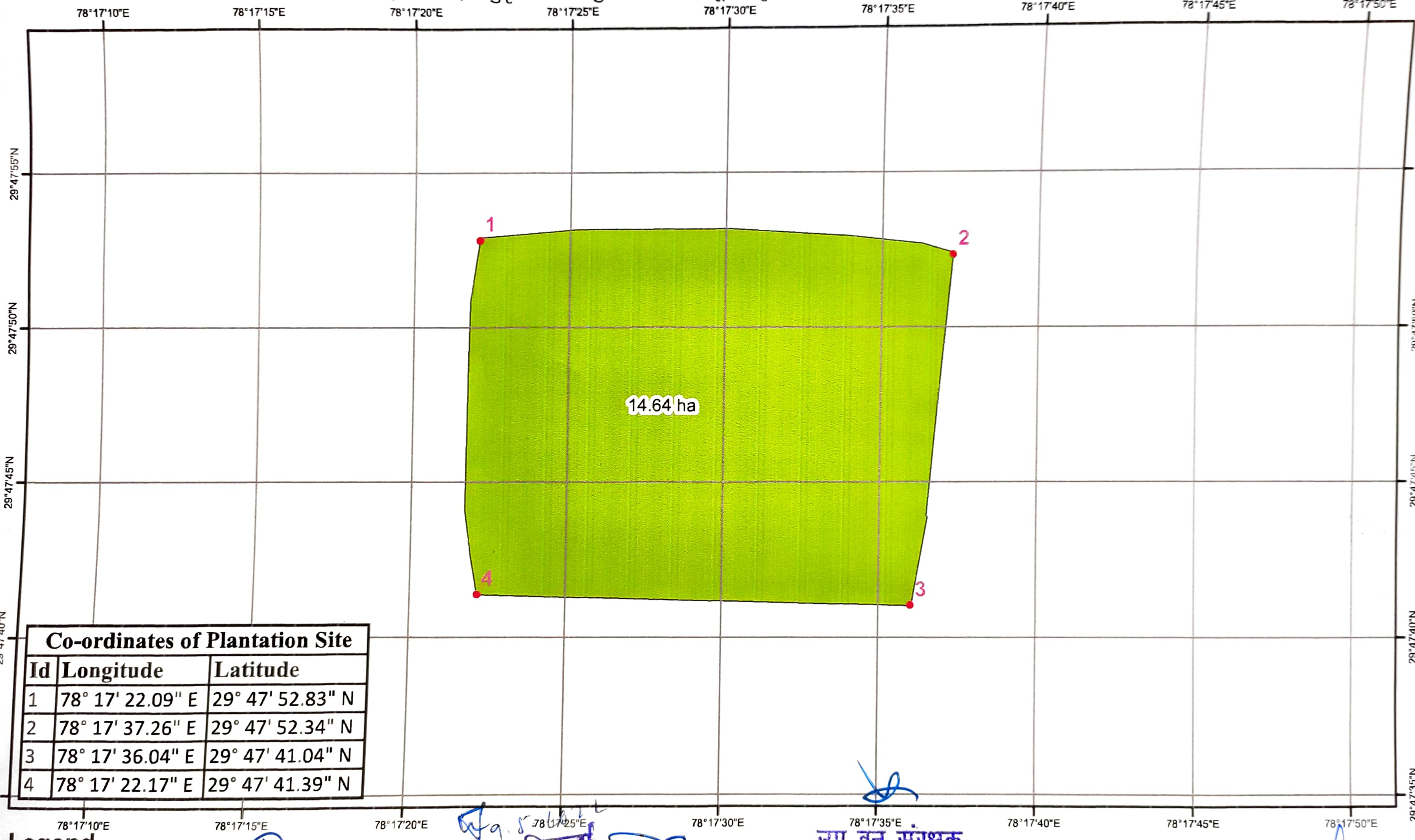

Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 17' 22.09" E	29° 47' 52.83" N
2	78° 17' 37.26" E	29° 47' 52.34" N
3	78° 17' 36.04" E	29° 47' 41.04" N
4	78° 17' 22.17" E	29° 47' 41.39" N

सहायक अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
रा.मा.खण्ड., लो.नि.वि.
देहरादून

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

तहसीलदार
लक्सर

उपजिलाधिकारी
लक्सर

Prepared by: ..., PCCF Office, ...

डिजिटल मैपः–केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग (राज्य मार्ग सं0 26) के किमी0 1 से 19 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 14.64 है0)

SOI Toposheet 53J/04 & 53J/08

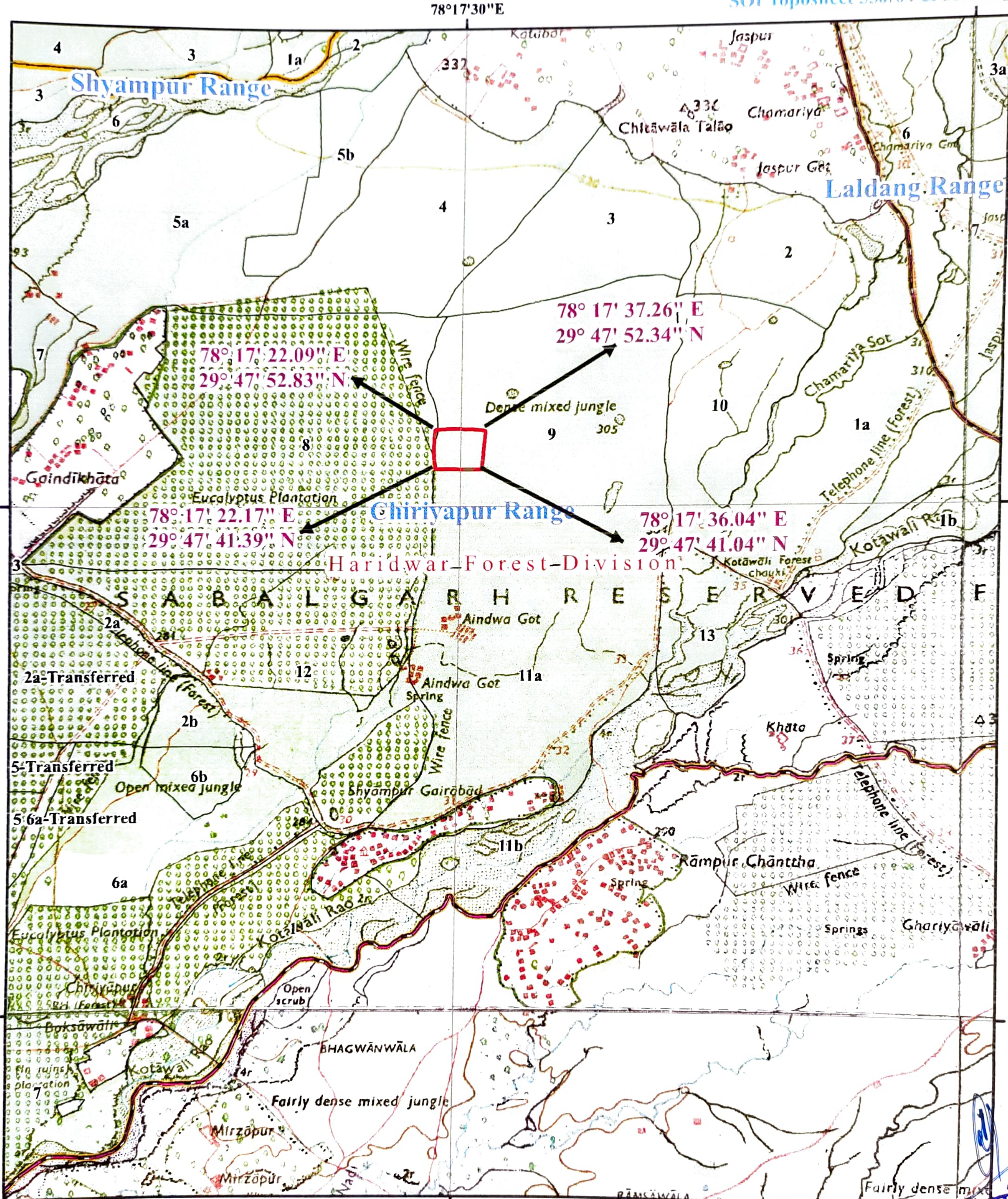

78°17'30"E

Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

अधिशासी अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

तहसीलदार लक्सर

वन क्षेत्राधिकारी
चिड़ियापुर
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

उपजिलाधिकारी लक्सर

जिलाधिकारी हरिद्वार

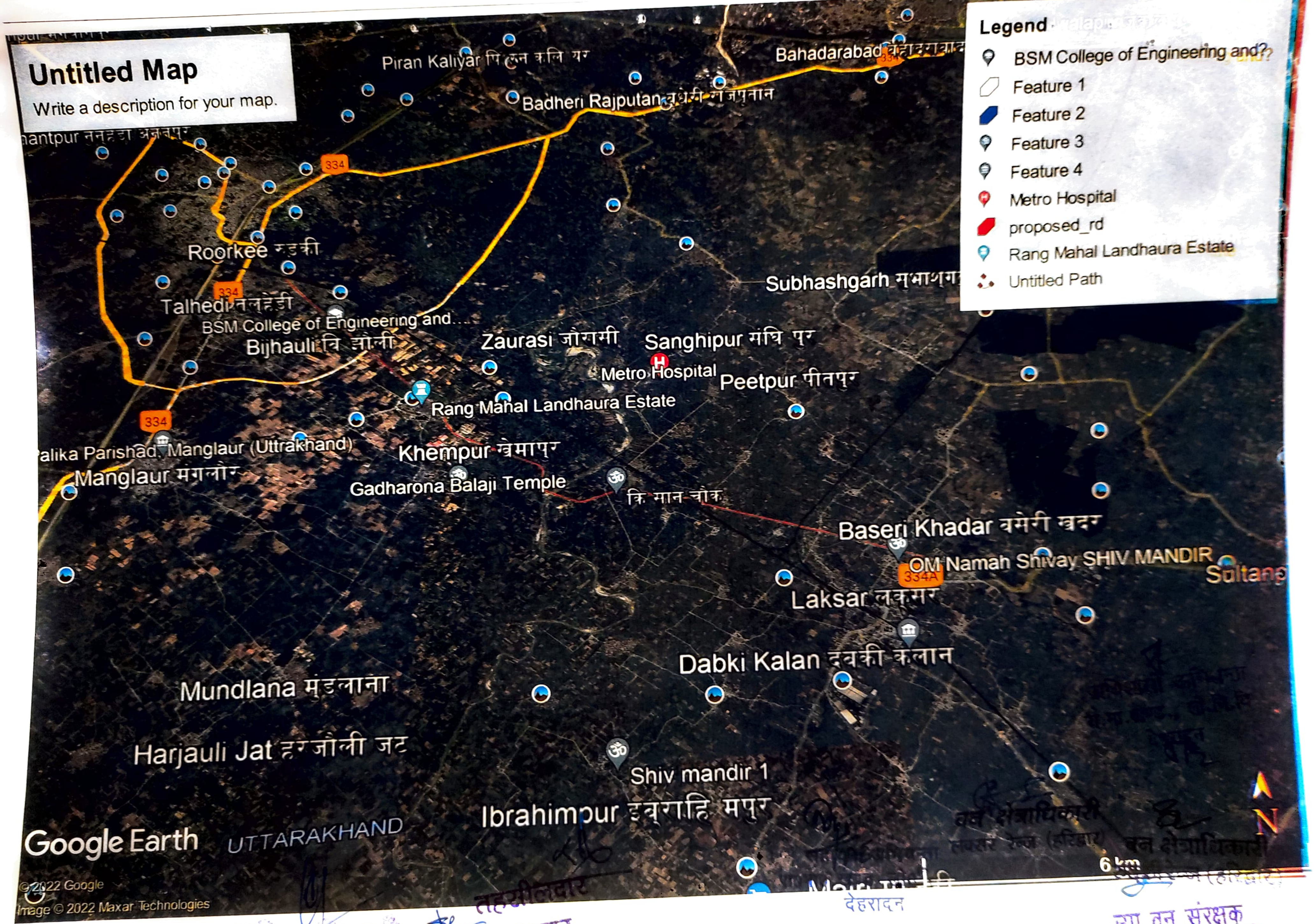
Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
BSM College of Engineering and?
Feature 1
Feature 2
Feature 3
Feature 4
Metro Hospital
proposed_rd
Rang Mahal Landhaura Estate
Untitled Path
Piran Kaliyar
Badheri Rajputan
Bahadarabad
Roorkee रुड़की
Talhedi
BSM College of Engineering and...
Bijhauli
Zaurasi
Sanghipur
Metro Hospital
Peetpur पीतपुर
Subhashgarh
Rang Mahal Landhaura Estate
Manglaur (Uttrakhand)
Manglaur मंगलौर
Khempur
Gadharona Balaji Temple
Baseri Khadar
OM Namah Shivay SHIV MANDIR
334A
Sultanp
Laksar
Dabki Kalan
Mundlana
Harjauli Jat
Shiv mandir 1
Ibrahimpur
UTTARAKHAND
Google Earth
334
6 km
©2022 Google
Image © 2022 Maxar Technologies
तहसीलदार
लकसर
देहरादून
उप वन संरक्षक

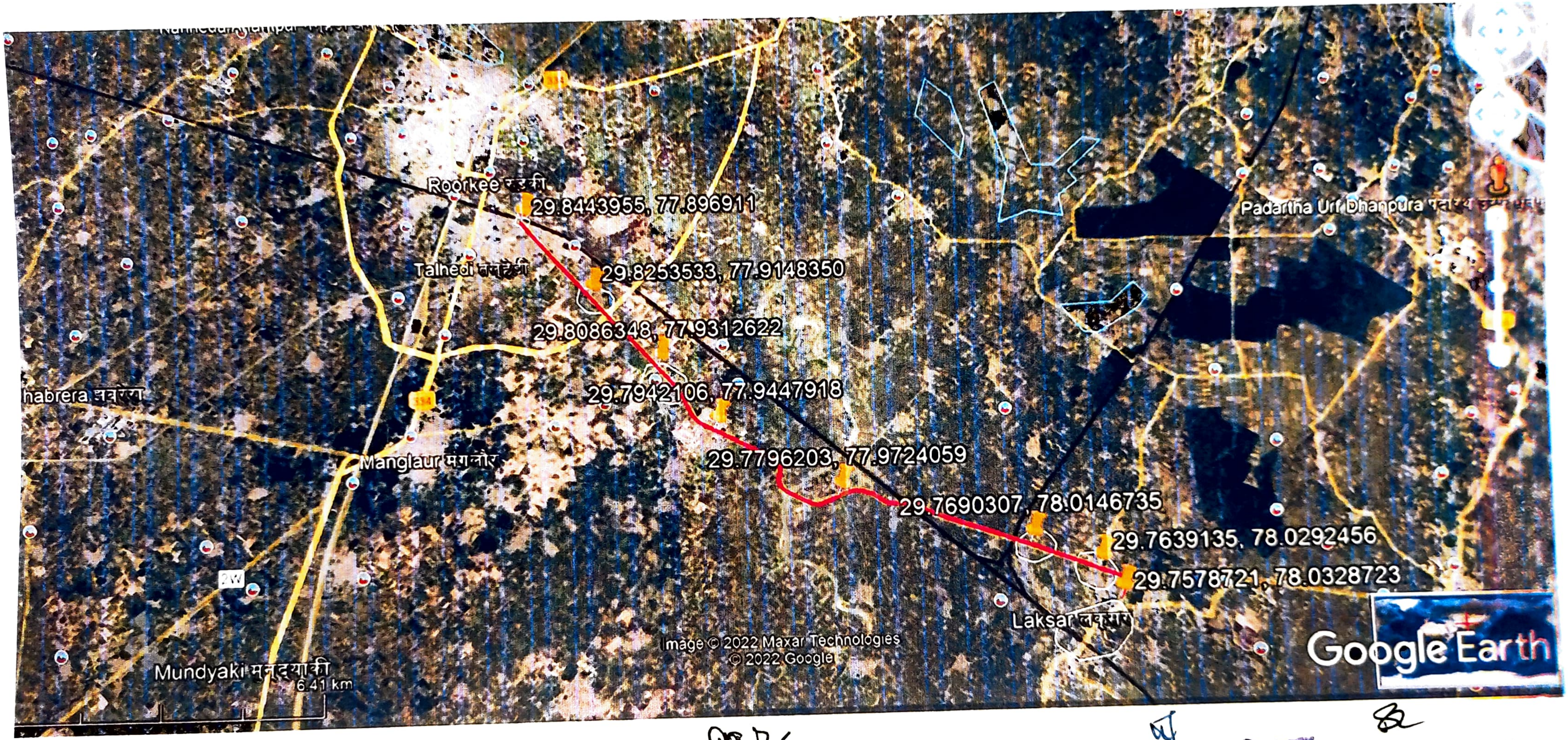

तहसीलदार
लक्सर

उपजिलाधिकारी
लक्सर

सहायक अभियन्ता
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
लक्सर रेन्ज (हरिद्वार)

अधिशासी अभियन्ता
रा.मा.खण्ड, लो.नि.वि.
देहरादून

जिलाधिकारी
हरिद्वार

वन क्षेत्राधिकारी
रुड़की रेन्ज (हरिद्वार)

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

डिजिटल मैप :–केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में रुड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग (राज्य मार्ग सं0 26) के कि0मी0 1 से 19 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु

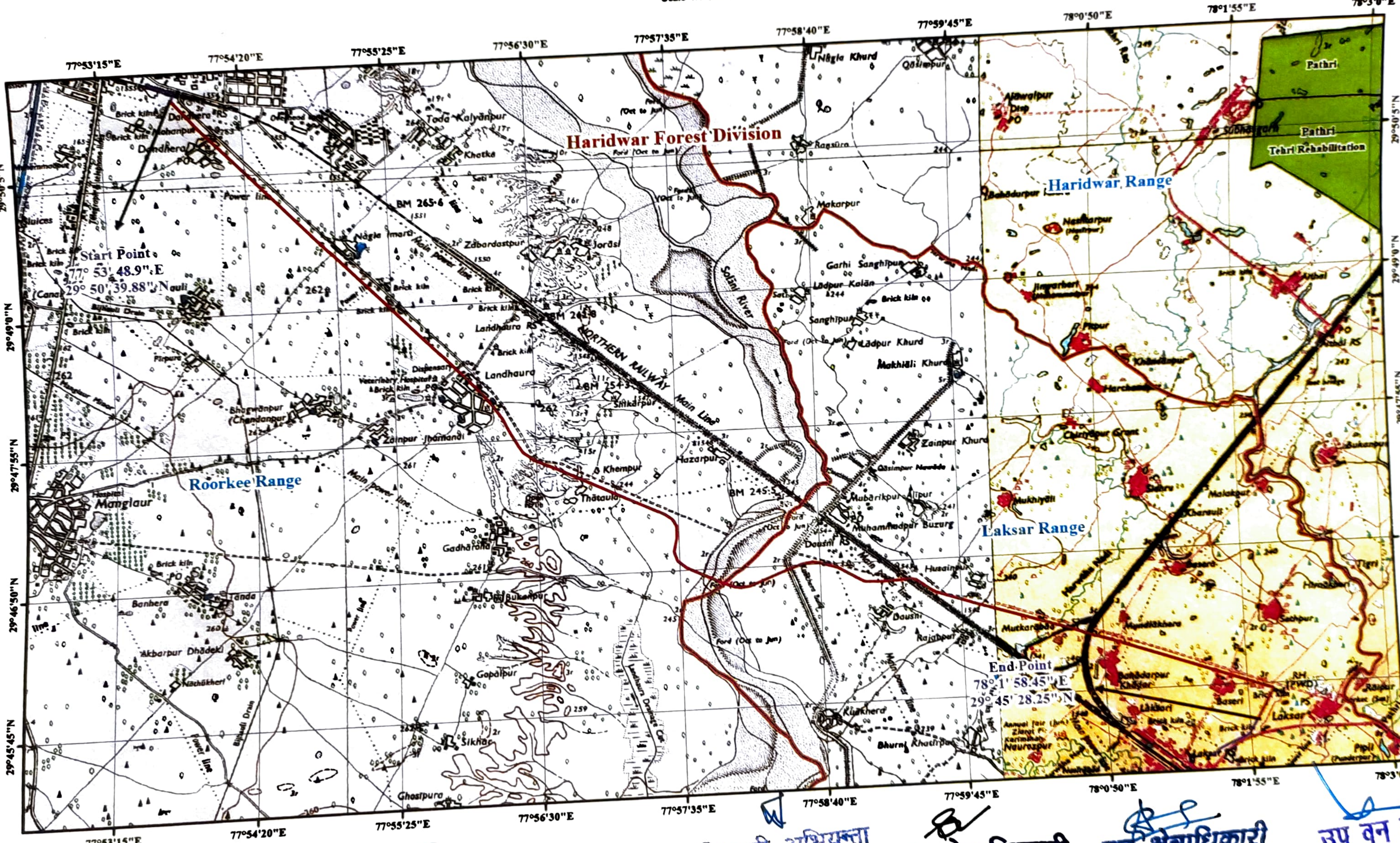

अधिशासी अभियन्ता
रा.मा.खण्ड., लो.नि.वि.
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रुड़की रेन्ज (हरिद्वार)

वन क्षेत्राधिकारी
लक्सर रेन्ज (हरिद्वार)

उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
देहरादून

तहसीलदार
लक्सर

उपजिलाधिकारी
लक्सर

जिलाधिकारी
हरिद्वार